कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या : 940 / प्र0अ0 / सि0वि0 / बजट / बी–1 / आवंटन / कैम्प   दिनांक 02 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या File No. IRR 2-1/2023-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 66450)/I/185629/2024, दिनांक 30.01.2024 द्वारा अनुदान संख्या–20 के पूंजीलेखा मद के मुख्य लेखाशीर्षक 4700 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत सोलर पैनलों की स्थापना मद में 03 सं0 योजनाओं की विभागीय तकनीकी परीक्षण (टी0ए0सी0) द्वारा संस्तुत लागत रू0 735.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुए किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि रू0 300.00 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्तावार / खण्ड़वार / योजनावार / मदवार निम्नानुसार किया जाता हैः–

धनराशि लाख रू0 में

क्र. स.	मद का विस्तुत विवरण / खण्ड का नाम / योजना का नाम	स्वीकृत लागत	आवंटित धनराशि
क.	**20 / 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 03–विभिन्न परियोजनाओं के अनुबन्धों के डिक्रीटल राशियों के भुगतान हेतु, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–सोलर पैनल की स्थापना, 00–, 53–वृहद् निर्माण (20 / 4700–03–001–03–00–53)**		
	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (यांत्रिक) देहरादून		
	लघुडाल खण्ड, श्रीनगर		
1	Project of on-grid solar PV system in irrigation schemes of minor lift irrigation sub division II (Rudraprayag).	275.30	110.12
	योग लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	**275.30**	**110.12**
	लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी		
2	Project of solar on-grid power plant at different lift schemes of Distt. Uttarkashi.	149.07	59.63
	योग लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी	**149.07**	**59.63**
	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़		
1	जनपद पिथौरागढ़ के सभी विकासखण्डों के विभिन्न लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर सोलर पैनल लगाने की योजना।	311.29	130.25
	योग लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़	**311.29**	**130.25**
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (यांत्रिक) देहरादून	**735.66**	**300.00**

(रूपये तीन करोड़ मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या File No. IRR 2-1/2023-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 66450)/I/185629/2024, दिनांक 30.01.2024 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा :–

(i) Three Phase की इनवर्टर क्षमता के साथ Mono erystalline silicon solar pannal का उपयोग किया जाय।

(ii) Solar photovoltaic Module की capacity 500 wp से अधिक होनी चाहिये ।

(iii) शासनादेश सं0 128975 / XXVII(1)/2022, दिनांक 12.06.2023 के अनुसार कार्य प्रा[illegible] किये जाने से पूर्व जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की सहमति अवश्य प्राप्त कर जाय।

(iv) प्रश्नगत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत एल0–01 निविदादाता का चयन के उपरान्त अनुमोदित लागत के अनुसार ही धनराशि का व्यय किया जाय तथा शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि को यथा प्रक्रिया समर्पित/राजकोष में जमा कराते हुये कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिचित किया जाय।

(v) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(vi) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा। धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(vii) N.S.I. मदों के कार्य हेतु शासनादेश सं0 50/XXVII(7)/2012, सं0 152/887/मार्ग सि0/रा0यो0आ0/2021, दिनांक 04.02.2021 एवं बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं शासनादेश सं0 103/XXVIII(7)/32/2007/T.C.-1, dt. 21.07.2022 के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(viii) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(ix) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(x) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(xi) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xii) व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित होने की दशा में उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित कर दी जाय।

(xiii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xiv) विभागीय कार्य करने से पूर्व तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(xv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0 31.03.2024 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

(xvi) सोलर पैनलों की स्थापना हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं शासनादेश सं0 103/XXVIII(7)/32/2007/T.C.-1, dt. 21.07.2022 का शतप्रतिशत अनुपालन करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त दरों का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(xvii) योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

	कुल योग मुख्य अभियन्ता स्तर–।।, हल्द्वानी		100.00

क्र0 सं0	मद का विस्तृत विवरण/ मुख्य अभियन्ता/खण्ड/योजना का नाम	RIDF	आवंटित धनराशि
	मुख्य अभियन्ता स्तर–।।, अल्मोड़ा		
	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा		
1	जनपद अल्मोड़ा के ताकुला विकासखण्ड में छानी ल्वैशाल क्षेत्र के सिंचाई नहरों का पुर्ननिर्माण व हैड निर्माण की योजना ।**(घोषणा सं0– 93/2021)**	RIDF-XXVIII	30.00
	योग सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा		**30.00**
	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़		
1	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बेरीनाग के अन्तर्गत वर्षायत नहर के जीर्णोंद्धार की योजना। **(घोषणा संख्या–1160/2021)**	RIDF-XXVII	10.00
2	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बैरीनाग के अन्तर्गत चामाचौड़ नहर के जीर्णोंद्धार की योजना। **(घोषणा संख्या–1166/2021)**	RIDF-XXVII	10.00
	योग सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ		**20.00**
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर–।।, अल्मोड़ा		**50.00**
	योग नहर निर्माण		**700.00**
	कुल योग		**1250.00**

(रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या ई0 पत्रावली सं0 IR 2-1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/52132/1/179935/2024, दिनांक 09.01.2024 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा :–

1- सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है । धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।
2- धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण व व्यय में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में निर्धारित शर्तो के साथ–साथ बजट मैन्युल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय।
5- जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
6- सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण बी0एम0–10 पर प्रतिमाह प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
7- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगे।
8- कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9- विभाग द्वारा नाबार्ड के अन्तर्गत समस्त गाईड लाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10- व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यो हेतु धनावंटन किया गया है। वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित पोषित/स्वीकृत न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।
11- उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों अथवा उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई भी अस्पष्टता अथवा भ्रम की स्थिति प्रतीत हो रही हो तो, शासन से वस्तुस्थिति तत्काल स्पष्ट करा ली जाय।

12- योजनाओं के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों/निर्देशों का अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

13- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उक्त स्थल की Geo Tagging तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य का Third Party Audit कराया जाय।

14- उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजना हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 एवं सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 901 /प्र0अ0/बजट/बी–1/तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून को उक्त शासनादेश एवं आवंटन आई0डी0 सं0 S24010200008 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति बजट अनुभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर–1/ II, देहरादून/श्रीनगर/हरिद्वार/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/यांत्रिक।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मंडल, देहरादून/अल्मोड़ा/सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून/रूद्रप्रयाग/टिहरी/ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़ ।
6. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, देहरादून/लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा विकासनगर/टिहरी/दुगड्डा/रूद्रपुर/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़ ।

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता

E:\Year 2023-24 keyin\budget .docx

(xviii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के संसंगत प्रावधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 2047/XIV-219/2006, दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन किया जाय।

(xix) वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय । साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

(प्रेम सिंह पंवार)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 940/प्र0अ0/बजट/बी–1/तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (यांत्रिक), देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, देहरादून/अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, श्रीनगर/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़

2-2-24

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता